भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1033
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 / 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

"भारत के वीर" पोर्टल

1033# श्रीमती संगीता यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "भारत के वीर" पोर्टल तथा "भारत के वीर" ट्रस्ट की स्थापना कब हुई;

(ख) वीरगति को प्राप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के आश्रितों को "भारत के वीर" योजना के माध्यम से क्या लाभ दिया जा रहा है;

(ग) क्या वीरगति को प्राप्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के माता-पिता को भी "भारत के वीर" योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है; और

(घ) "भारत के वीर" योजना के माध्यम से वीरगति को प्राप्त कितने केंन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिको के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): "भारत के वीर" पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी तथा "भारत के वीर" ट्रस्ट की स्थापना 2018 में की गई थी।

(ख) और (ग): "भारत के वीर" पोर्टल के माध्यम से वीरगति को प्राप्त कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को अन्य वित्तीय हकदारियों के अलावा 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। "भारत के वीर" ट्रस्ट यह सुनिश्चित करती है कि वीरगति को प्राप्त कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को सभी हकदारियों से न्यूनतम 01 करोड़ रुपये मिल जाए। वीरगति को प्राप्त विवाहित कार्मिकों के माता-पिता को भी "भारत के वीर" ट्रस्ट से 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) "भारत के वीर" से, अब तक वीरगति को प्राप्त कार्मिकों के 501 आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

******